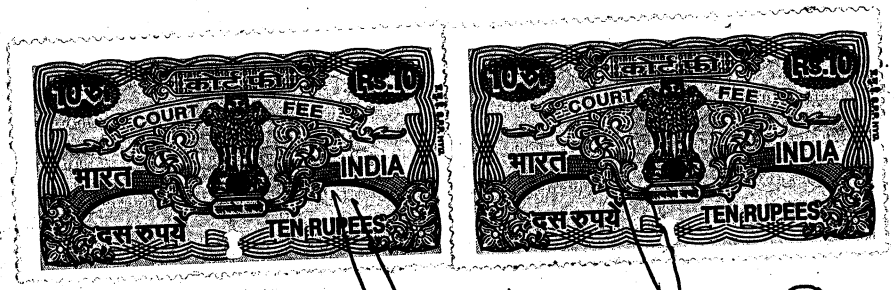

समक्ष माननीय राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर केम्प सागर

तजमुल हुसैन तनय सब्दल हुसैन
निवासी पुरूषोत्तमपुर तह. व जिला पन्ना .....आवेदक

//विरूद्ध//

म.प्र. शासन .....अनावेदक

R-3967-III/13

निगरानी अंतर्गत् धारा-50 म.प्र.भू. राजस्व संहिता

उपरोक्त आवेदक न्यायालय श्रीमान् अपर कलेक्टर जिला पन्ना म.प्र. के प्र. क्र. 56/निग. वर्ष 2010-11 में पारित आदेश दिनांक 30-11-11 से परिवेदित होकर यह निगरानी निम्नलिखित प्रमुख एवं अन्य आधारों पर प्रस्तुत करता है:-

1. यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, ग्राम सुनहरा में स्थित भूमि ख.नं. 71/1(क) रकवा 2.00 हे० का विधिवत् रूप से पट्टा तहसीलदार पन्ना द्वारा अपने न्यायालय के राजस्व प्र.क्र. 2/अ-19 वर्ष 1992-93 में पारित आदेश दिनांक 30.09.93 के अनुसार विधिवत् रूप से स्वीकृत किया गया था आवेदक का कब्जा उक्त भूमि पर 02.10.84 के पूर्व से था इसलिए दखलरहित अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए उक्त भूमि का पट्टा आवेदक को प्रदान किया गया था तभी से आवेदक उक्त भूमि पर काबिज होकर कास्त करता चला आ रहा है। परंतु अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, पन्ना द्वारा अपने न्यायालय के प्र.क्र. 11/बी-121 वर्ष 2010-11 में दि. 07.07.11 को आवेदक के विरूद्ध आदेश पारित किया गया था जिससे दुखित होकर आवेदक ने एक निगरानी अपर कलेक्टर पन्ना के न्यायालय में प्रस्तुत की थी जो कि उनके आदेश दिनांक 30.11.2011 द्वारा खारिज की गई, जिससे दुखित होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी निम्नलिखित आधार पर श्रीमान् के समक्ष विधिवत् रूप से प्रस्तुत की जा रही है।

//निगरानी के अधार//

2. यह कि प्रस्तुत निगरानी (धारा 5 के आवेदन के आधार पर) निर्धारित समय-सीमा के अंदर है तथा श्रीमान्इ द्वारा सुने जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.11.2011 की प्रमाणित प्रतिलिपि इस निगरानी के साथ संलग्न है।

XXXIX(a)-BR(H)-11

-1-

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक.. निग:3967-III/13 ..... जिला .... पन्ना .....

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
24.4.16.	1— आवेदक के अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव उपस्थित अनावेदक शासन पक्ष की ओर से पेनल अधिवक्ता उपस्थित उभयपक्ष अधिवक्तागणों के तर्क सुने। 2—मैंने प्रकरण का आवलोकन किया। यह निगरानी अपर कलेक्टर जिला पन्ना म०प्र० के प्रकरण क्रमांक 56/निगरानी/2010—11 में पारित आदेश दिनांक 30/11/2011 के विरूद्व म0 प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा—50 के तहत प्रस्तुत की गयी है। 3— आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क में कहा गया है कि विवादित भूमि का पट्टा दखल रहित अधिनियम 1984 के तहत ग्राम सुनहरा की भूमि ख.नं0 71/1(क) रकवा 2.000 हे0 भूमि स्वामी अधिकार के तहत प्रदान किया गया था। म.प्र. कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमि स्वामी अधिकार प्रदान किया जाना(विशेष उपबंध) अधिनियम 1984 के अंतर्गम भूमि स्वामी स्वत्व प्रदान किए जाने का अधिकार प्रदान किया गया है। आवेदक का कब्जा लगभग 20 वर्षो से चला आ रहा है। खसरा की नकल में आवेदक का कब्जा दर्ज होने के आधार पर तहसीलदार पन्ना द्वारा प्र. क्र. 2/अ—19/1992—93 आदेश दिनांक 30.09.1993 को आवेदक के नाम भूमि स्वामी अधिकार प्रदान करते हुए विधिवत् आदेश पारित किया था। जिसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी सूक्ष्म जॉच एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना न्यायालय अपर कलेक्टर पन्ना द्वारा स्वमेव निगरानी के तहत विवादित आदेश पारित करते हुए भूमि शासन के नाम दर्ज किए जाने के आदेश दिये गये है। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। 4— आवेदक की ओर से तर्क में कहा गया है कि लगभग 22—23 वर्ष पूर्व किये गये व्यवस्थापन को शून्य किये जाने बावत् स्वप्रेरणा निगरानी की कार्यवाही की गई है जबकि पट्टेदार द्वारा विवादित भूमि पर श्रम, धन खर्च कर भूमि को उन्नत बनाया गया है जैसा कि राजस्व निर्णय 1999 पेज 363 मोहन तथा अन्य विरूद्ध म.प्र. राज्य में यह मत प्रतिपादित किया गया है कि स्वप्रेरणा की कार्यवाही युक्तियुक्त समय के भीतर की जाना चाहिए तथा एक वर्ष की अवधि अयुक्तियुक्त	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

हो सकती है। इसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट केसेज 1994 राजचन्द्र बनाम युनियन ऑफ इन्डिया एस.एस.सी.–44 में यह मत निर्धारित किया है कि स्वप्रेरणा निगरानी की प्रक्रिया समय सीमा में की जाना चाहिए। माननीय उच्च न्याया. न्यायधीश एस.के. गंगेले ने वर्ष 2013 में प्रकरण आनुधिक ग्रह निर्माण सहकारी समिति मार्या. वि. म.प्र. राज्य तथा एक अन्य रे.नि. 2013 पृष्ट 8 में भी 180 दिन से बाहर ऐंसी शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता का उल्लेख किया है उनका यह भी तर्क है कि, आवेदक को वर्ष 84 के खसरा में कब्जा दर्ज होने के आधार पर पर दखल रहित अधिनियम के तहत व्यवस्थापन किया गया था तहसीलदार पन्ना के द्वारा प्रकरण क्रमांक 21/अ–6/2000–2001 में पारित आदेश दिनांक 24.02.2001 को आवेदक के पक्ष में तरमीम की जाकर आदेश पारित किया गया है। खसरा पांचसाला में आवेदक का कब्जा दर्ज है जिसकी प्रतियां प्रस्तुत की गई है। अतएव उन्होनें आवेदक को किया गया व्यवस्थापन आदेश स्थिर रखते हुए अपर कलेक्टर पन्ना द्वारा पारित आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया है।

5– उभयपक्षो के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्को के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयं के आदेश एवं प्रस्तुत दस्तावेज तथा न्यायिक दृष्टांतो का अवलोकन किया। अपर कलेक्टर पन्ना द्वारा आवेदक को 02/10/1984 में कब्जा न होने के आधार पर स्वमेंव निगरानी की शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश पारित किया है। प्रश्नाधीन भूमि का व्यवस्थापन वर्ष 1993 में किया गया है। एवं प्रस्तावित कार्यवाही अनुविभागीय अधिकारी पन्ना द्वारा वर्ष 2011 में प्रारंभ की गई है। ऐसी स्थिति में प्रचलित कार्यवाही विधि सम्मत नहीं पाता हूँ। अतएव प्रस्तुत तर्को एवं न्यायिक दृष्टांतों के परिपेक्ष्य में अपर कलेक्टर पन्ना एवं अनुविभागीय अधिकारी पन्ना द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश स्थिर रखे जाना नहीं पाता हूँ।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर कलेक्टर पन्ना द्वारा पारित आदेश दिनांक 30/11/2011 एवं अनुविभागीय अधिकारी पन्ना द्वारा पारित आदेश दिनांक 07/07/2011 निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार पन्ना के प्र.क्र. 2/अ–19/1992–93 में पारित आदेश दिनांक 30/09/1993 स्थिर रखा जाता है परिणामतः राजस्व अभिलेख, कम्प्यूटर अभिलेख में आवेदक का नाम पूर्वतः दर्ज रखते हुए यह निगरानी स्वीकार की जाती है। तदानुसार यह प्रकरण निराकृत किया जाता हैं प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

सदस्य